REFERENCE TO THE REPORTED CRIMINAL ASSAULT ON A HARIJAN WOMAN WHILE IN POLICE CUSTODY IN KALYANPURI DELHI

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य (आंध्र प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 12 मार्च, 1980 के पेट्रियेट में यह निकला था कि :

"Missing women's trail ends up at Thana."

यह पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि क्यों सदन का समय खराब किया जाय और मैंने कालिंग-अटेन्शन मोशन नहीं दिया। उसके बाद 13 मार्च को उस क्षेत्र के शोषित समाज के लोगों ने जिनकी लड़की पुलिस थाने से लापता हो गई और जिसके साथ पुलिस थाने में बलात्कार किया गया, उन्होंने प्रदर्शन भी किया कल्याणपुरी थाने पर। प्रदर्शन में करीब 5 हजार लोगों ने भाग लिया। पर इसको भी मैंने सोचा कि इस समस्या को सदन में न उठाया जाय क्योंकि इससे बेकार समय खराब होगा। वैसे ही इसके बारे में उन लोगों ने सीधा लिख दिया है। उसके बाद श्रीमन्, कल इस शेडयूल कास्ट की लड़की मीरा के पिता, इसके भाई, इसके रिश्तेदार बहुत बड़ी तादाद में उस बस्ती के लोग मेरे पास आये थे और बहुत बुरी तरह से रोये। उन्होंने एक रिप्रन्जेशन भी मुझे दिया, उसी के आधार पर मैंने यहां पर कालिंग-अटेंशन मोशन नहीं, मैंने स्पेशल मेंशन की आज्ञा मांगी थी। स्पेशल मेंशन में मैंने पर्चे में लिखा था कि :

"One Scheduled Castes married young woman, 20 years old, Mrs. Mira, is missing from police custody, having remained in police custody at least for three days. It is said then she was raped by policemen in the Police Station. The S.I. of Police Station, Kalyanpuri, Delhi, is keeping the young woman at secret place. Her life is in danger."

और उन्होंने जो कम्पलेंट दी थी उसको भी मैंने साथ में लगाया था, अखबार को भी मैंने साथ में लगाया था। पर श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद हुआ कि वह अस्वीकार होकर मेरे पास आ गया। मुझे मजबूर होकर इस विषय को सख्ती के साथ उठाना पड़ा। जब सख्ती के साथ उठाया गया तो चेयरमैन साहब ने अपने चेम्बर में कहा कि इसको मैं कल मंजूर कर लूंगा। आप इसको फिर दुबार भेज दीजिये। यह मैंने फिर दुबारा भेज दिया और भजने के बाद मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिये चला गया। लाइब्रेरी में मुझे इत्तिला दी गई आपका स्पेशल मेन्शन अभी मंजूर हो गया है आप चलिये। श्रीमन्, मैं इस वजह से और इस बात को लेकर मैंने बहुत तेजी के साथ जो कि एक व्यक्ति के लिये 54 वर्ष की उम्र में हो उसमें इतना जोर नहीं होगा जितना कि 1962 में जवान था उस समय जब बोलता था तो बहुत तेजी से बोलता था, मैंने उठाई, तो मेरा नाम सबसे बाद में रखा गया। श्रीमन्, मैं इस बात को लेकर, कालिंग अटेन्शन मोशन को लेकर, स्पेशल मेन्शन को लेकर और बहुत सी चीजों को लेकर, मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं, कोई न कोई इरादे के साथ दोष कर रहा है, इरादे के साथ मेरे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, श्रीमन् मेरा यह निवेदन है।

श्रीमन, जो पत्र उन्होंने मुझे दिया था उसको ही आपके सामने रखकर बात कहना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री यहां पर हैं। वैसे तो यह मैंने उनको दे दिया है और उन्होंने कृपा करके

यह भी वायदा कर दिया है कि मैं जांच-पड़ताल करूंगा । ज्ञानी जी ने भी वायदा किया है कि वे जांच-पड़ताल करेंगे । मुझे विश्वास है कि. वे इसको देखेंगे । मैं उनकी नेकनीयती पर लेशमात्र भी शक नहीं करता । मुझे विश्वास है कि वे इसकी गहराई से जांच करायगे और वे केवल पुलिस के हाकिमों के कहने पर ही नहीं जायेंगे बल्कि इस मामले को सी० बी० आई० (क्राइम) को देंगे जिससे कि उन लोगों का पता लग सके जो कि सरकारी वर्दी और पुलिस की वर्दी में थाने में बलात्कार करने की हिम्मत करते हैं । श्रीमन, जो पत्र मुझे मिला है वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं :

4 P.M.

"All India Pairwa Mahasabha (Regd.), Ranjit Nagar, New Delhi—

दिनांक 24-3-80

आदरणीय श्री बुद्ध प्रिय जो मौर्य, संसद सदस्य ।

Harijan Woman Missing from Police custody in Delhi.

विषय : कानून व व्यवस्था के रक्षक पुलिस अधिकारी ही भक्षक-दलित हरिजन युवती पुलिस हिरासत में लापता ।

हम बड़े क्षोभ व खेद के साथ आप का ध्यान अंग्रेजी के दैनिक पत्र पेट्रियट दिनांक 12 मार्च के पृष्ठ संख्या 1 पर प्रकाशित समाचार 'Missing woman's trail ends up at Thana' की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हरिजनों व दलितों पर पुलिस अत्याचार की घटनाओं की श्रृखला में राजधानी दिल्ली का नाम भी शामिल होने जा रहा है । निम्नलिखित घटना से दिल्ली पुलिस व केन्द्रीय गृह मंत्रालय की क्षमता तथा सेवा भाव की प्रवृति पर एक ओर जहां प्रश्न चिन्ह स्वतः लग जाता है वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की घटनाओं से सरकार के प्रति दलितों की आस्था अधिक समय तक अडिग नहीं रह सकती ।

दिनांक 25-2-80 को मीरां नामक हरिजन बेरवा बरादरी की 20 वर्षीया युवती अपनी ससुराल दिल्ली सदर केन्ट से अपने माता-पिता के घर इन्द्रपुरी जे० जे० कालौनी के लिए चली थी और आज तक वह वहां नहीं पहुंच पाई है । दूसरे दिन ससुराल वालों ने जब मीरां का पता लगाने के लिए उसके माता-पिता से सम्पर्क किया और वहां उसे नहीं पाया तो अन्य रिश्तेदारों में खोज करने के बाद दिनांक 27 फरवरी 1980 को लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दिल्ली सदर कैंट थाने में लिखवाई । दिनांक 4-3-80 को लड़की के पिता श्री इसर राम को पता चला कि एक 20-22 वर्षीया लड़की श्री गोरधन दास निवासी त्रिलोक पुरी चारपाई को दुकान वाले को असहाय अवस्था में प्राप्त हुई थी जिसे उसने लड़की की भयावह स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ठीक उसी दिन दिनांक 27-2-80 कल्याणपुरी पुलिस थाने में सुरक्षा संरक्षण हेतु सौंप दिया था । सम्पर्क स्थापित किये जाने पर और लड़की के हुलिए की जानकारी मिलने पर यह निश्चित हो गया कि वह लड़की मीरां ही थी । पिता श्री इसर राम व सम्बन्धियों ने जब पुलिस अधिकारियों से अपनी लड़की के बारे में पूछ ताछ की तो उन्होंने बड़े ही उपेक्षापूर्ण ढ़ंग से बताया कि उनके यहां कोई भी लड़की नहीं सौंपी गई ।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

जब श्री गोरधन दास को ले कर श्री इसर राम व उनके साथी पुनः थाने गये तो थाना अधिकारियों ने स्वीकार

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य

किया कि वास्तव में ही मीरां को पुलिस संरक्षण में दिनांक 27-2-80 को सौंपा गया था। मीरां को उपलब्ध कराए जाने की मांग पर पुलिस इंचार्ज ने बताया कि मीरां को शाहदरा पागलखाने में भेज दिया गया है क्योंकि वह कभी नारायणा जाने के लिए कहती थी तो कभी कैंट के लिए।

शाहदरा पागलखाने से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वहां कोई भी मीरां नाम की लड़की नहीं है। यहां तक कि पिछले 15 दिनों में वहां कोई स्त्री नहीं गई। पुलिस इंचार्ज कल्याणपुरी की सलाह पर नारी निकेतन केन्द्र तिहाड में भी पता किया गया परन्तु वह वहां भी नहीं मिली। नारी निकेतन से भी पता चला कि यहां भी मीरां नाम की कोई स्त्री नहीं आई। उसके बाद दो तीन जगह और भी पुलिस वालों ने कहा वहां भी उसके माता-पिता और रिश्तेदार गए लेकिन कोई पता नहीं चला और यह तथ्य अभी तक रहस्य बना हुआ है कि पुलिस के संरक्षण में होते हुए मीरां का अभी तक पता नहीं चल सका। इस संबंध में लड़की के पिता श्री इसर राम द्वारा उपराज्यपाल, पुलिस आयुक्त श्री भिण्डर, गृह मंत्री जैल सिंह, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को तार द्वारा लड़की को उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना भी की जा चुकी है किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 13 मार्च, 1980 को गुस्से में लगभग दो ढाई हजार व्यक्तियों ने थाना कल्याणपुरी पर जोरदार प्रदर्शन किया और रोष प्रकट किया जिस पर पुलिस अधिकारियों ने कुछ दिन के लिए समय मांगा और कहा कि एक दो दिन में लड़की को देंगे। दिनांक 13 मार्च, 1980 के इस प्रदर्शन के बाद आज दिनांक 20 मार्च 1980 तक लड़की उसके माता पिता या ससुराल वालों को नहीं सौंपी गई। पुलिस अधिकारियों के परस्पर विरोधी बयानों व लड़की की असहाय स्थिति को देखते हुए हमें मीरां के प्राणों की सुरक्षा का पूरा खतरा बना हुआ है पुलिस आयुक्त श्री भिण्डर को भी इस आशय की सूचना तीन बार की जा चुकी है। हम आप से अनुरोध करते हैं कि इस गरीब हरिजन श्री इसर राम की पुत्री श्रीमती मीरा को शीघ्रतिशीघ्र तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को उनके अपराधपूर्ण व गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए सख्ती से दंण्डित किया जाना चाहिए और संपूर्ण घटना काण्ड की न्यायिक जांच के आदेश दिये जाने चाहिए। यदि लड़की को उपलब्ध कराने में पुलिस असफल रही तो हमको कहना पड़ेगा कि इस अपहरण, हत्या काण्ड के पीछे पुलिस का हाथ है।

भवदीय,

(शिव प्रसाद मरमट) महामंत्री, अखिल भारतीय बैरवा महासभा (रजि०)

श्रीमन् ये जब मेरे पास आये था एक और स्त्री है उसकी उम्र करीब 55-56 साल की है, एक किलो बेहतरीन चांदी पहनी हुई थी, इसी थाने के सामने उसकी कुटिया है, वह स्त्री भी पांच मार्च से लापता है। इसी तरह बहुत सी रिपोर्टें हैं मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आप देखेंगे इस 'पैट्रियट' में लिखा है कि यह लड़की पुलिस की कस्टडी में तीन दिन तक रही है। इसमें भी रिपोर्टिंग में दिया हुआ है कि लड़की जिस समय वहां पर गई उस समय केवल वह चौराहे पर मिली क्योंकि वह दो दिन तक गलत लोगों के हाथों में

रही । बीच में से वह लड़की किडनैप की गई । वह साड़ी भी नहीं पहनी हुई थी बल्कि फटा हुआ पेटी कोट और फटा हुआ ब्लाउज उसके शरीर पर था। लड़की 20 साल की है, कोई बच्चा नहीं हुआ और लड़की भी उसके मां बाप कहते हैं कि देखने में सुन्दर है । यह तमाम ऐसी चीजें हैं । श्रीमन्, यह गोबरधन दास मेरे पास आया । गोबरधन दास जो 27 फरवरी की रात को इस लड़की को पुलिस थाने लेकर गया, इस लड़की को लेकर पुलिस थाने में गया । तो यह गोबरधन दास भी स्वयं मेरे पास आया उसके साथ बहुत से आदमी आये और उसने कहा कि मैं दरोगा की मौजूदगी में लड़की को सुपुर्द करके आया हूं । एस० आई० जिसका नाम उन्होंने बताया था लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं कि नाम सही बता रहे थे या गलत लेकिन एस० आई० कहते थे कि छोटे दरोगा की मौजूदगी में वह लड़की जब तक दरोगा जी नहीं आये वह थाने में ही रहे । वे लोग थाने में आधी रात के बाद पहुच गये थे लेकिन तब तक दारोगा जी नहीं आये थे और रात चार बजे के बाद ये दारोगा जी आये । चार बजे के बाद एस० आई० आये तो उन्होने अपने कमरे में लड़की को बिठाया ये लोग बाहर इंतजार करते रहे । सुबह 6 बजे दरोगा ने कहा, एस० आई० ने यह कहा कि आप अपने घर जा सकते हैं हम इस लड़की का डाक्टरी मुआयना करायेंगे और जिन लोगों ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है बदमाशी की है उनको सजा दिलवायेंगे । ये आदमी चले आये लेकिन उसके बाद से उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है । मेडिकल एक्जामिनेशन पुलिस ने कराया या नहीं कराया और अगर मेडिकल एक्जामिनेशन कराया तो उसकी क्या रिपोर्ट है । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्री जी, इस मामले को वे अगर नहीं पता लगाते हैं तो आप भिण्डर जी की लियाकत पर मत जाईये जब कोई जूनियर आफिसर इतनी ऊंची जगह पर बिठा दिया जाता है तो उसका आधा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है इसलिए भिंडर साहब की योग्यता पर मत जाईये उसको तो आपने एक पोलिटिकल ड्राइव दी तो आप के पास जो सी०आई० बी० क्राइम की ब्रान्च है उसको आप यह मामला दें । अगर आप उनको दें तो मैं यहां पर अथारिटी के साथ कह सकता हूं कि यह सब इंस्पेक्टर दोषी पाया जायेगा कि उसने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है, पुलिस थाने के अंदर किया है यह पता चलेगा अगर आप ने इसको सी० आई० डी० क्राइम को और वह भी किसी जिम्मेदार गजेटेड आफिसर को दिया तो।

श्रीमन्, स्वयं मेरे मित्र श्री शेख अब्दुल रहमान भी अभी मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि अभी जम्मू कश्मीर के एक खालू गांव भदवारा पुलिस स्टेशन में सोमा देवी; 65 वर्ष की स्त्री की बंदूक चोरी चली गई थी जब उसने शिकायत की कि इन लोगों ने चोरी की होगी तो उन्हीं की मदद से पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी गिरफ्तारी की और उस 65 वर्ष की शेडयूल्ड कास्ट की औरत को थाने में रखा तथा उसके अंग प्रत्यंग प्राईवेट पार्टस में लाल मिर्च भरी गई । यह मेडिकल रिपोर्ट भी आई है कि उसके प्राईवेट पार्टस में लाल मिर्च मिली । लेकिन अभी भी वह दरोगा सस्पेंड नहीं हुआ है । श्रीमन्, मुझे यह नहीं मालूम कि शेख साहब यहां हैं या नहीं हैं लेकिन वह सहमत होंगे इससे । और भी इस तरह की घटनाएं हैं । मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

तक पहले स्पेशल मेंशन के बारे में सवाल है मैं फिर दुबारा कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि लंग्स पावर के बल पर हम स्पेशल मेंशन को स्वीकार कराए इसके कोई नियम बन जाने चाहिए कि स्पेशल मेंशन किस तरह के स्वीकार होंगे और किस तरह के नहीं होंगे तथा किस ढंग के होंगे। यह नहीं कि जो कोई मशीनरी बैठी हुई है वह गलत तरीके से इस कार्य को गलत करे।

इसी तरह से कालिंग अटेंशन मोशन के बारे में भी होना चाहिए। अभी-अभी इसी सत्र में मंजूर करने वाला मैं, लंग्स की पावर का इस्तेमाल करने वाला मैं, धरना देने की धमकी वाला मैं और जब स्वीकार हो गया तो मेरा नाम सब से बाद में। ऐसा कौन करता है, किस तरह से करता है? यह बहुत गलत तरीका है। कोई तरीका निकलना चाहिए। जब इस तरह की सदन में भी वाहियात बातें होंगी, तो सदन के बाहर कहां तक वाहियात बातों को रोका जा सकेगा। श्रीमन् मेरा निवेदन है और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं और अगर इसे नहीं रोका गया तो फिर मैं स्पैसिफिकली चार्ज शीट लगाऊंगा कि कौन-कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। यह रुकना चाहिए। हम लोग कोई आजकल के हीं हैं। सन 1962 को लोक सभा में आए हैं, 1962 से इस संसद् को जानते हैं। हम लोगों के साथ यह खिलवाड़ नहीं चल सकता। मेरा निवेदन है कि इस मामले में मंत्री जी, जो स्वयं शोषित समाज से सम्बंध रखते हैं, मेरा विश्वास है कि जो भावना मेरे मन में है, वही उनके मन में भी होगी और वे मालूम करेंगे कि यह हमारी बेटी मीरा कहां है, वे मालूम करेंगे कि यह बेटी जीवित है या नहीं, वे मालूम करेंगे कि इसके साथ बलात्कार किस-किसने किया और अगर उसमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं, तो उनको तुरन्त वे सस्पेंड करेंगे।

जहां तक कल्याण पुरी के थाने का सवाल है, वहां के एस0 एच0 ओ0 और एस0 आई0 को तुरन्त सस्पेंड कर देना चाहिए, चाहे वे जिम्मेदार हों या न हों क्योंकि पुलिस थाने से लड़की गायब हुई है। यही इल्जाम काफी है। इसीलिए इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

REFERENCE TO THE REPORTED MURDER OF GAUTAM JAISINGHANI, A STUDENT OF DELHI UNIVERSITY

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Mr. Deputy Chairman, before I speak on the topic for which permission has been given, I too would like to support Mr. Maurya when he referred to the rules and the procedure being followed in this House. Sir, it has been the practice in this House that special mentions coming up at the last minute on something which has come in the morning's newspapers are allowed and permission for raising special mentions is not given unless one shouts, because each one of us shouts. Mr. Maurya's name appeared much below, and probably I shouted a little less than him, my name appears after him. But that is not the way of browbeating the Chair or using one's vocal chord to attract Chairman's attention.

Sir, I wanted to draw the attention of the House to yet another gruesome murder which has shocked the people of Delhi. I recall very vividly how stunned this House was when we discussed the gruesome murder of two young innocent children called Geeta